

न्याय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

324/2020

निर्णय दिनांक :- 05.01.2021

प्रार्थना पत्र:-

बजाघर पुत्र बजरंगलाल जाति ब्रह्मण निवासी बडोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0

—प्रार्थी पक्ष—

बनाम

तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0

—अप्रार्थी पक्ष—


प्रार्थना-पत्र पत्थरगढी बाबत अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 384 खसरा नं0 1122/1645 रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम बडोली तहसील दूनी जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है व पडोसी खातेदारों से विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नहीं है।

अतः जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 में अंकित खाता संख्या 384 खसरा नं0 1122/1645 रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम बडोली की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार दूनी को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/- निर्धारित की जाकर एतत्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।


(भारत भूषण गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
देवली